परिक्षेत्रीय कार्यालय,
परिक्षेत्र बस्ती

प्रेस नोट
दिनांक – 14-09-2025

- **डीआईजी बस्ती द्वारा थाना हरैया मे लगाया गया जनचौपाल।**
- **लोगो को ड्रोन अफवाहो के प्रति किया गया जागरूक।**
- **हरैया मे रात्रि पैदल गस्त कर कानून /सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा ।**

पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री संजीव त्यागी द्वारा दिनांक 13/14.09.2025 की रात्रि मे थाना हरैया क्षेत्र मे जनचौपाल लगाकर आमजन से वार्ता की गयी। जनचौपाल के दौरान लोगों को ड्रोन संबंधी अफवाहों से सावधान करते हुए जागरूक किया गया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू "ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023" की जानकारी दी गई ।

डीआईजी बस्ती द्वारा आमजनमानस को बताया गया कि—

- किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन उड़ाने से पूर्व संबंधित थाने में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- विवाह समारोह, सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन अथवा सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण हेतु ड्रोन का उपयोग करने से पूर्व थाना स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य है।
- ड्रोन का अनधिकृत अथवा अवैध उपयोग दण्डनीय अपराध है, जिसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।डीआईजी बस्ती ने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, वस्तु अथवा ड्रोन उड़ान की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराये ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके। साथ ही लोगों को चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई। । प्रभारी निरीक्षक हरैया को थाना क्षेत्र में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने, रात्रि गश्त बढाकर सघन चेकिंग करने तथा ड्रोन संबंधी किसी भी सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात डीआईजी बस्ती द्वारा हरैया में रात्रि पैदल गश्त कर कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

उक्त अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री ओम प्रकाश सिंह,क्षेत्राधिकार हरैया श्री संजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक हरैया श्री तहसीलदार सिंह अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल
परिक्षेत्र बस्ती